(126)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 362–पीबीआर/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–11–2003 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 208/निगरानी/1992–93

.....

अशोक कुमार पुत्र हरीशंकर गोयल
निवासी दाल बाजार, लश्कर,
जिला ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–नरेन्द्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह
2–बलकार सिंह पुत्र अजमन सिंह
निवासी डबरा
3–इंद्रसिंह पुत्र बिमलसिंह
4–जितेन्द्र सिंह पुत्र बिमलसिंह
5–हरकीरत सिंह पुत्र बिमलसिंह
6–आत्मप्रकाश सिंह पुत्र बिमलसिंह
7–हरिन्द्र प्रताप सिंह पुत्र बिमलसिंह
निवासी चीनौर रोड डबरा
8–शिवनाथ सिंह पुत्र हरदयाल सिंह भदौरिया
मुख्य नगर पालिका अधिकारी अकोड़ा जिला भिण्ड

..... अनावेदकगण

.....

श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/1/13 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक नरेन्द्रसिंह एवं बलकारसिंह द्वारा तहसील न्यायालय डबरा के समक्ष संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत ग्राम डबरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 31 रकबा 1.296 हेक्टेयर पर पट्टे के आधार पर काबिज होने से सिकमी अधिकार प्राप्त होने पर नामान्तरण की मॉग की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 28–9–1987 को आदेश पारित कर आवेदक का नामान्तरण करने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–8–1990 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया जिसकी निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–4–1992 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा गया । प्रकरण वापिस तहसील न्यायालय को प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदकगण का नामान्तरण हो चुका है तथा अपर कलेक्टर व जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अनुबंध के विशिष्ट पालन हेतु प्रकरण लंबित है, अतः नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा 29–8–1992 को आदेश पारित आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 26–5–1993 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–11–2003 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों के आधार पर करने का अनुरोध किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित होने से व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय को प्रकरण स्थगित रखना चाहिये, परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही किये जाने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 3 लगायत 8 को विकय कर दी गई है और प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामान्तरण भी हो गया है जिसे किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई है । इस स्थिति पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर आवेदक की आपत्ति स्वीकार किये जाने क अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि व्यवहार न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वाद प्रचलित होने से तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाये । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यवहार न्यायालय में वाद दूसरे बिन्दु पर प्रचलित है और तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत नामान्तरण से संबंधित प्रकरण प्रचलित है, अतः व्यवहार न्यायालय में दूसरे बिन्दु पर प्रकरण प्रचलित रहने से तहसीलदार द्वारा कार्यवाही रोका जाना उचित नहीं है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । इसके अतिरिक्त इस न्यायालय में यह तीसरी निगरानी

प्रस्तुत की गई है, इस कारण भी निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–2003 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर